भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 808
दिनांक 07 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

महिलाओं हेतु विशेष योजनाएं

808. **श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तराखंड में स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों में महिलाओं की कम भागीदारी और रक्ताल्पता की अधिक व्याप्तता जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम अथवा योजनाएं आरंभ की हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त पहलों की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में महिलाओं और किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए सरकार की भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): सरकार देश में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस उद्देश्य से, सरकार ने महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जीवन-चक्र निरंतरता के आधार पर उनके मुद्दे का समाधान करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है ताकि वे तीव्र और सतत राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार बन सकें। यह 'महिला प्रेरित विकास' वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को साकार करने के लिए आवश्यक है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जिन्हें तीन भागों में बांटा गया है: (1) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति; (2) देश में पोषण संकेतकों में सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0; तथा (3) कठिन परिस्थियों में

बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(i) मिशन शक्ति: 'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों पर अभिसरण में सुधार के लिए कार्यनीतियों के प्रस्ताव पर जोर देना है। मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा तथा महिला सशक्तीकरण के लिए दो उप-योजनाएं 'संबल' और 'सामर्थ्य' शामिल हैं।

"संबल" उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत जैसी योजनाएं शामिल हैं।

क. वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)- जिला स्तर पर स्थित एक संस्था जो संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, चिकित्सा एवं पुलिस सहायता, परामर्श और कानूनी सहायता जैसी तत्काल सहायता प्रदान करती है।

ख. महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) - महिला हेल्पलाइन 181 सहायता और जानकारी चाहने वाली महिलाओं को 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवा प्रदान करती है। इसे सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है और सभी वन स्टॉप सेंटरों के साथ एकीकरण का काम प्रगति पर है।

ग. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) - बीबीबीपी मानसिकता में बदलाव लाने वाला एक कार्यक्रम है जो बहु-क्षेत्रीय पहलों के माध्यम से बालिकाओं के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने में मदद करता है।

घ. नारी अदालत- एक ऐसा मंच है जो महिलाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर बातचीत, मध्यस्थता और आपसी सहमति से समाधान के माध्यम से त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है। इसे असम तथा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की 50-50 ग्राम पंचायतों में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है।

"सामर्थ्य" उप योजना महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना तथा संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) जैसी योजनाएं शामिल हैं।

क. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)-** पीएमएमवीवाई एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत पहले बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में सीधे 5,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पात्र लाभार्थियों को दूसरा बच्चा

बालिका होने पर पीएमएमवीवाई के तहत 6,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है।

ख. **शक्ति सदन-** शक्ति सदन संकटग्रस्त एवं कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत एवं पुनर्वास गृह है।

ग. **सखी निवास-** सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे निधि जारी की जाती है और इसका उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।

घ. **पालना-** पालना योजना डे-केयर क्रेच सुविधाओं के माध्यम से बच्चों के लिए सुरक्षित और संरक्षित स्थान प्रदान करती है। क्रेच सेवाएं अब तक घरेलू काम का हिस्सा मानी जाने वाली बाल देखभाल सुविधाओं को औपचारिक बनाती हैं और अंतिम लाभार्थी तक देखभाल सुविधाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी अवसंरचना का प्रयोग करती हैं।

ङ. **संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू)** - संकल्प: एचईडब्ल्यू महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी और ज्ञान के अंतर को पाटने के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। यह मिशन शक्ति के तहत सभी घटकों के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) का भी कार्य करता है।

(ii) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0): इस कार्यक्रम के अंतर्गत, आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरी योजना को 3 प्राथमिक खंडों में पुनर्गठित किया गया है: (i) 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों (14-18 वर्ष) के लिए पोषण सहायता; (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष] और (iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना।

भारत सरकार मजबूत संस्थागत तंत्र के माध्यम से मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी एवं फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ छह पहलों - रोगनिरोधी आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण (आईएफए सिरप 6-59 माह के बच्चों को दो सप्ताह में एक बार दिया जाता है, आईएफए पिंक 5-9 वर्ष के बच्चों को साप्ताहिक रूप से दिया जाता है, आईएफए ब्लू किशोरियों (10-19 वर्ष) को साप्ताहिक रूप से दिया जाता है, आईएफए रेड प्रजनन

आयु समूह की महिलाओं को साप्ताहिक रूप से दिया जाता है एवं आईएफए रेड गोलियां (180 दिनों के लिए प्रतिदिन) गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को दी जाती हैं), कृमि मुक्ति, वर्ष भर गहन व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान, डिजिटल इनवेसिव हीमोग्लोबिनोमीटर का उपयोग करके एनीमिया का परीक्षण एवं देखरेख बिंदु उपचार, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में आयरन एवं फोलिक एसिड फोर्टीफाईड आहार का अनिवार्य प्रावधान, इन्ड़ेमिक पॉकेट में एनीमिया के गैर-पोषण संबंधी कारणों का समाधान करने के माध्यम से छह लाभार्थी समूहों - 6-59 माह के बच्चे, 5-9 वर्ष के बच्चे, किशोरियों (10-19 वर्ष), प्रजनन आयु की महिलाएं (15-49 वर्ष), गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं में एनीमिया के व्यापकता को कम करने के लिए 6X6X6 कार्यनीति में एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यक्रम कार्यान्वित करती है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और पक्ष समर्थन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) / मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, रक्ताल्पता (एनीमिया) और अल्प वजन की व्यापकता को कम किया जा सके।

इस योजना के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र कोसमाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को पिछले वर्ष संशोधित और उन्नयित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं। इसमें मानदंड में गुणवत्ता वाले प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता(एनीमिया) को नियंत्रित करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाया जाने वाला राशन (टीएचआर - कच्चा राशन नहीं) तैयार करने

के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

इस मिशन के अंतर्गत सामुदायिक जुटाव और जागरूकता पक्ष समर्थन प्रमुख कार्यकलाप हैं। इसके माध्यम से लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए जन-आंदोलन चलाया जाता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के माह में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रक्ताल्पता(एनीमिया) से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिएपोषण अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एनीमिया से संबंधित विशेष थीम शुरू किया गया है। समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिनांक 26.02.2024 को आयुष मंत्रालय के साथ मिशन उत्कर्ष जिलों में किशोरियों (14-18 वर्ष) में एनीमिया की रोकथाम और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए साक्ष्य-आधारित आयुर्वेद पहलों के उपयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस हस्तक्षेप को धुबरी (असम), बस्तर (छत्तीसगढ़), पश्चिमी सिंहभूम (झारखंड), गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) और धौलपुर (राजस्थान) जिलों में शुरू करने की योजना है। 10,133 आंगनवाड़ी केंद्रों में किशोरियों के लिए योजना (एसएजी) के तहत पंजीकृत 80,000 से अधिक किशोरियों को साक्ष्य आधारित आयुष पहल दिया जा रहा है।

(iii) मिशन वात्सल्य: मिशन वात्सल्य (पूर्ववर्ती बाल संरक्षण सेवा योजना (आईसीपीएस)) एक केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है ताकि देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (सीएनसीपी) और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) के लिए बेहतर पहुंच तथा सुरक्षा हेतु सेवाएं प्रदान की जा सकें जिसमें मिशन मोड में संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल शामिल है, जिसका उद्देश्य है:

(i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों को सहायता और सहारा देना (ii) विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान विकसित करना (iii) अभिनव समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए गुंजाइश प्रदान करना (iv) आवश्यक होने पर गैप फंडिंग द्वारा अभिसरण कार्रवाई को मजबूत करना।

यह योजना चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए आपातकालीन आउटरीच सेवाएं (24x7) भी प्रदान करती है।

ये पहल महिलाओं और बच्चों से जुड़े महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों का समाधान करने और उत्तराखंड राज्य सहित देश में स्थायी सामाजिक बदलाव लाने के लिए बनाई गई परिवर्तनकारी योजनाएं हैं। वे महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण और विकास के प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित करते हैं, जिसका उद्देश्य अधिक समावेशी, समतापूर्ण, न्यायपूर्ण तथा सहायक समाज बनाना है।

*****